

राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर

आदेश

एकलपीठ दीवानी विविध अपील नं. 4908/2017

यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

बनाम

श्रीमती पूनम भगत व अन्य

आदेश दिनांक :

13.11.2017

माननीय न्यायाधिपति श्री बनवारीलाल शर्मा

श्री बी पी यादव, अधिवक्ता—अपीलार्थी की ओर से।

श्री राजेन्द्र कुमार सैनी, अधिवक्ता—प्रत्यर्थीगण की ओर से।

प्रकरण एकलपीठ दीवानी विविध अपील संख्या 5898/2017 के साथ
दिनांक 20.11.2017 को पुनः सूचीबद्ध किया जावे।

(बनवारी लाल शर्मा)
न्यायाधिपति